




फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

छोटू बनाम बोदू

केस संख्या 112/2020 ( बाजदायरी प्रार्थना पत्र )

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
23-12-2020	<p>प्रार्थी उमराव ने जरिये अधिवक्ता श्री महेन्द्र नाहर के उपस्थित होकर दिनांक 08.12.20320 को अदम हाजरी में खारिज की गई पत्रावली संख्या 77/2020 व उनवानी छोटू बनाम बोदू को पुनः नम्बर पर लिये जाने के लिए यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश किया है। मूल मिसल शामिल हो। संबंधित को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 29.12.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       जिला कलक्टर                      जयपुर                 </p>	<p style="text-align: right;">                         2079  <u>24-12-2020</u> </p>
29 <sup>12</sup> / <sub>20</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील जयश्री उपा नोटिस जारी है। नम्बर का पत्रावली पर है मता पत्रावली का नो नोटिस शामिल दिनांक 4-1-21 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;">                       सीडर                      न्यायालय कलक्टर                      एवं जिला मजिस्ट्रेट                      जयपुर                 </p>	
4-1-2021	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील जयश्री उपा है। अज्ञात गण की ओर से वकील श्री बनवादी शर्मा ने वकालत नामा पेश किया। बुभय पक्ष को सूना गया। बाजदायरी पत्रावली स्वीकार किया जाता है। प्र-पत्र नम्बर से कम है। मूल मिसल के शामिल है।</p> <p style="text-align: right;">                       जिला कलक्टर                      जयपुर                 </p>	